"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2012

आदेश

क्रमांक 5582/डी-2104/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की परामर्श से, एतद्द्वारा श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को, राज्य शासन की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील एवं अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए "लोक अभियोजक" नियुक्त करता है.

No. 5582/D-2104/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code 1973 (No. 2 of 1974) State Government, in Consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby appoints Shri Sanjay K. Agrawal, Advocate General, High Court of Chhattisgarh as Public Prosecutor for conducting prosecution, appeal and other proceeding on behalf of State Government in the High Court.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.